6/12/2016 पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी एवं उनके अभिवक्ता गत दो तारिख पेशियों दिनांक 8/11/2016 एवं दिनांक 22/11/2016 को भी अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी तथा उनके अभिवक्ता की अपने प्रार्थना पत्र की पैरवी करने में कोई रुचि एवं गम्भीरता प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी की अरुचि व अगम्भीरता से न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है। आज भी बार-बार न्यायालय समय पर आवाज लगाई गई। बावजूद आवाज कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

06/12/16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कुचामन